

प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां
(अक्टूबर, 2017)

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 08 अक्टूबर, 2017 को वडनगर, गुजरात में त्वरित मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। त्वरित मिशन इंद्रधनुष को 21 राज्यों में 166 जिलों तथा शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। 25 अक्टूबर, 2017 तक लगभग 14.03 लाख बच्चों और 3.03 लाख गर्भवती महिलाओं को त्वरित मिशन इंद्रधनुष के अक्टूबर के दौरान आयोजित राउंड के दौरान टीका लगाया गया है।
2. हिमाचल प्रदेश में नए एम्सों की साइट को अंतिम रूप दिया गया और नियम 12 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1351 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बिलासपुर में नए एम्स के लिए पीएमओ का अनुमोदन लिया गया। निवेश-पूर्व कार्यकलाप करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को भी नियुक्त किया गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर, 2017 को बिलासपुर में नए एम्स की आधारशिला रखी। मंत्रिमंडल के कार्यान्वयन अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल नोट को परिचालित किया गया है।
3. मंत्रिमंडल ने अपनी दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को संपन्न बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में दिनांक 06 सितंबर, 2017 को भारत और म्यांमार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रस्ताव को कार्यान्वयन अनुमोदन दिया।
4. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर माननीय राज्यमंत्री (एकेसी) की उपस्थिति में नई दिल्ली में "पोषण सुरक्षा - सामंजस्य और सहभागिता" के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। माननीय राज्यमंत्री ने "भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य संपोषण - अब तक का सफर और आगामी पथ" नामक एक व्यापक रिपोर्ट जारी की तथा खाद्य पुष्टता के संबंध में एक पुनर्निर्मित तथा अद्यतन वेब पोर्टल भी शुरू किया। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय खाद्य रिकवरी गठबंधन (आईएफआरए): भूख से लड़ने के लिए तथा भारत के खाने की बर्बादी और हानि को रोकने के लिए भारत में खाद्य रिकवरी के साझेदारों का एक गठबंधन और जीवन के लिए आहार संबंधी पहल : मेटानोलिज्मदके अज्ञात दोषों पर मूल सूचना सहित एक ट्रांसेक्शनल वेबसाइट शुरू की गई।
5. दिनांक 04.10.2017 को माननीया राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) और विक्टोरिया (ऑस्ट्रेलिया) की माननीया गवर्नर महामहिम सुश्री लिंडा डिंसो एसी के बीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई।
6. दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा सीनेटर महामहिम सुश्री कामिना जोन्सन स्मिथ, जमैका के विदेश व्यापार मंत्री के बीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई।
7. दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को माननीया राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) और महामहिम डॉ. (श्रीमती) एडिला हमोद हुसैन, इराक के स्वास्थ्य मंत्री के बीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई।
8. नई प्रौद्योगिकी और क्रिया-कलापों के तहत डिजिटल इंडिया तथा अभिनव परिपाटियों में सहयोग करते हुए, जनसंख्या स्थिरता कोष ने अपनी वेबसाइट का नवीकरण किया है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा नई दिल्ली में की गई।

9. दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 को अपर सचिव (स्वास्थ्य) तथा भूमध्यरेखीय देश गिनी के विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई।
10. दिनांक 23-24 अक्टूबर, 2017 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित "भारत और स्वीडन के बीच स्वास्थ्य के संबंध में 9वें संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक" में संयुक्त सचिव (पीएमएसएसवाई) के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने हिस्सा लिया।
11. आइज़ोल में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, केन्द्र सरकार के वेतनभोगियों और उनके आश्रित परिवारों तथा अन्य को व्यापक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आइज़ोल में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत आरोग्य केन्द्र (एलोपैथिक) की स्थापना की गई।
12. दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एचआईवी संभावित लोगों की समुदाय-आधारित जांच के संबंध में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई।
13. दिनांक 09-11 अक्टूबर, 2017 को हैदराबाद, तेलंगाना में अपर सचिव एवं महानिदेशक, नाको की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य 13 राज्यों (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल) के लिए पीपीटीसीटी, आईसीटीसी, एचआईवी-टीबी और एसटीआई कार्यक्रमों में तेजी लाने हेतु विशेष कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करना था।
14. औषध तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करने के लिए दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 की अंतिम राजपत्रित अधिसूचना, जिसमें यह प्रावधान है कि लाइसेंस के एक बार जारी किए जाने पर यह तब तक वैध रहेगा जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इसे निरस्त अथवा रद्द न कर दिया जाए, प्रकाशित की गयी।
15. दिनांक 23.10.2017 की अधिसूचना द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में कॉलेज ऑफ फिजीशियन एंड सर्जन कॉलेज (सीपीएस), मुंबई द्वारा चलाए जा रहे पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अधिसूचित किया गया।
16. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (12वां संशोधन) विनियम 2017 को अधिसूचित किया गया है।
17. केंद्रीय प्रायोजित योजना 'देश में एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हेतु "मौजूदा राज्य सरकारों/केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन हेतु 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 211.84 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि जारी की गई'।
18. केंद्रीय प्रयोजित योजना "नए पीजी विद्यार्थियों तथा विस्तृत पीजी सीटें हेतु राज्या सरकार मेडिकल कॉलेजों के सुदृढीकरण तथा उन्नयन" के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 82.84 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान जारी किया गया।
19. एमसीआई की सिफारिश पर, शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु पीजी (ब्रोड स्पेशिएलिटी) में 02 सीटें शुरू/वृद्धि करने हेतु मंत्रालय द्वारा अनुमति-पत्र (एलओपी) जारी किए गए हैं।
20. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, अक्टूबर, 2017 में लगभग 5.17 लाख मोतियाबिंद सर्जरी की गई, स्कूली बच्चों/तकालीन शिल्कह 37,499 चश्मे वितरित किए गए तथा 25,757 दान किए गए नेत्र एकत्र किए गए।
21. जापानी इंसेफलिटीज कार्यक्रम, काला अजार उन्मूलन कार्यक्रम तथा संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025 तक क्षयरोग के उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
